

मुख्य मंत्री असंगठित, मजदूर कल्याण योजना
(मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग)
असंगठित मजदूर के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र
(म.प्र. असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 के अंतर्गत)

1.	आवेदक का समग्र आई.डी.	<input type="text"/>
2.	आवेदक का नाम	<input type="text"/>
3.	पिता/पति का नाम	<input type="text"/>
4.	जन्म दिनांक	<input type="text"/>
5.	आधार नम्बर	<input type="text"/>
6.	मोबाईल नम्बर	<input type="text"/>
7.	विवाहित, अविवाहित, विधवा, विधुर, अन्य	<input type="text"/>

मैं घोषणा करता हू कि -

- (1) मैं असंगठित क्षेत्र में नियोजित हू तथा म.प्र. असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखता हूँ।
- (2) मैं किसी सरकारी या निजी नौकरी या ऐसे नियोजन में कार्यरत नहीं हूँ, जिसमें सामाजिक सुरक्षा हितलाभ यथा भविष्य निधि प्राप्त हो रहे हो।
- (3) मैं आयकर दाता नहीं हूँ।
- (4) मेरे पास एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है।

मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

आवेदक के नियोजन के संबंध में अनुसंधानकर्ता/अभिज्ञान वाले विषय कायमकरी नहीं जानी चाहिए, यदि आवेदक विगत एक वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोजनों में कार्यरत रहा है, तो उस अवकाश नियोजनों की कायमकरी नहीं जानी चाहिए।

क्र.	नियोजन का प्रकार	दिनांक	कार्य स्थिति
1	कृषि में नियोजन जिसमें सम्मिलित है उपजोंकी तथा कृषि प्रसंस्करण;		
2	दूध-उत्पादन (डेरी), दुग्धपादन, सुअरपालन तथा अन्य पशुपालन में नियोजन.		
3	मछलीपालन में नियोजन.		
4	शानिकों में नियोजन जिसमें सम्मिलित है मुख्य तथा गौन वन उपज के उत्खनन तथा संग्रहण से संबंधित क्रियाकलाप.		
5	रेशम-उत्पादन में नियोजन.		
6	संतराइट, गीलाबम, मृत्तिका का निकास जाना, भवन का पत्थर, सड़क की मिट्टी, बजरी, मुरम, रेत तथा मिट्टी खदान क्रिया उत्खनन में नियोजन.		
7	पाथर को तोड़ने तथा दलने में नियोजन.		
8	पकी ईंट तथा टाइल बनाने में नियोजन.		
9	(क) किसी बाजार या दुकान या डिपो या कारखाने या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थापना, एवं (ख) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अधीन गठित मण्डी समितियों के नियंत्रणाधीन कोई बाजार,में लदाई-उतराई, डेर लगाने (बंकिंग), पैकिंग करने, बहन करने, तोलने, मापने और ऐसे ही अन्य शारीरिक कार्य, जिसमें उसकी तैयारी तथा अन्य संयुक्त कार्य शामिल हैं, में नियोजन.		
10	सार्वजनिक-परिवहन यानों में माल की लदाई या उतराई माल की उतराई-से संबंधित तथा कोई अन्य आनुबन्धिक या संसक्त प्रवाहन में नियोजन.		
11	गोदाम में खाद्यान की लदाई, उतराई तथा बहन करना खाद्यानों की छटाई तथा सफाई, खाद्यानों का बोरो में भरना, ऐसे बोरो को बिललाई करना तथा उससे आनुबन्धिक तथा संसक्त अन्य कार्य में, के संबंध में नियोजन.		
12	खादी, इपकरवा (ईडरूम) तथा पावरलूम उद्योग में नियोजन.		
13	कपड़े का विरहित करना (ब्लॉचिंग) रंगाई तथा छयाई में नियोजन.		
14	सिचाई में नियोजन.		
15	सुगन्धित तेलियाँ (अगरबत्ती) के बनाने में नियोजन.		
16	कढ़ाई, स्त्रीकिंग तथा तैयार वस्त्र (रेडीमेड गारमेंट्स) बनाने में नियोजन		
17	घामड़, अचार, जेम्स, जेली, अन्य पारिष्कृत खाद्य पदार्थ, पिसें मसालों तथा चायक बनाने में नियोजन.		
18	खाना बनाने में नियोजन.		
19	खिलौने बनाने में नियोजन.		
20	बमई के बोधन, तथा प्रसंस्करण में नियोजन.		
21	पुर्तों तथा बमई की अन्य बस्तुएं बनाने तथा मरम्मत करने में नियोजन.		
22	सफाई तथा झाड़ू-बहाकरू-सेवाओं में नियोजन.		
23	छा-पिकिंग में नियोजन.		
24	दरवाजे-दरवाजे (झार-झार पर) पुराने समाधार-पत्रों (रही) का संग्रहण (तथा विक्रय) तथा त्यक्ता बस्तुएं (कबाड़ी) में नियोजन.		
25	बेचने वाला (हॉकर) तथा मार्ग में फेरी लगाकर बेचने वाला (स्ट्रीट वेंडर) के रूप में नियोजन.		
26	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27) से यथा परिभाषित मोटर परिवहन कर्मकार		
27	साइकिल-रिक्सा, आटो-रिक्सा तथा टैक्सी चलाने में ऐसा नियोजन जो "मोटर परिवहन कर्मकार" की श्रेणी में नहीं आता.		
28	अटा, रेत, दाव तथा घावल मिल में नियोजन.		
29	प्रायवेट सुरक्षा सेवाओं में नियोजन.		
30	प्लास्टिक उद्योगों में नियोजन.		
31	सकड़ी का काम करने की इकाइयों में नियोजन.		
32	बत्तन बनाने में नियोजन.		
33	कार्टीगर (थिएटर) जैसे सुधार, बहई, गाना बनाने, चक्र बनाने (क्रेडलर) आदि में नियोजन.		
34	दरी तथा कारपेट बनाने में नियोजन.		
35	आतिशबाजी तथा माथिस उद्योग में नियोजन.		
36	डब्बों तथा पैकिंग की अन्य सामग्री बनाने में नियोजन.		

अनुसंधान करने वाले पंचायत सचिव/बाई प्रभारी एवं अन्य कर्मचारी का

नाम.....

मोबाईल नं.....

हस्ताक्षर.....